न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 27/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/31)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सतिया राम पुत्र शोभा राम जाति बावरी निवासी 32 एफ अरायण तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 16.02.2023

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक : 18.10.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 68/49 में क्रमांक :-5 पर वादी का नाम संयुक्त खातेदारान के साथ दर्ज है। वादी को उक्त भूमि जरिए विरास्तन इंतकाल संख्या 121 प्राप्त हुयी है। उक्त इंतकाल में वादी का घरेलू नाम सतनाम पुत्र शोभा राम अंकित है, लेकिन वादी के पहचान संबंधित दस्तावेजो में वादी का नाम सतिया राम पुत्र शोभा राम जाति बावरी निवासी 32 एफ अरायण तहसील श्री करणपुर नाम दर्ज है। वादी उक्त वर्णित खाता में क्रमांक संख्या 5 पर वर्णित नाम हटवाकर, उसके स्थान पर सतिया राम पुत्र शोभा राम जाति बावरी निवासी 32 एफ अरायण नाम अंकित करवाना चाहता है। ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादी को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 68/49 में क्रमांक :-5 पर अंकित नाम सतनाम पुत्र शोभा राम जाति बावरी के स्थान पर सतिया राम पुत्र शोभा राम जाति बावरी नाम घोषित किया जाकर, उपरोक्तानुसार संशोधन करने हेतु डिक्री पारित की जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 655 दिनांक 01.03.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 32 एफ की जमाबन्दी के खाता संख्या 68 में प्रार्थी सतनाम सिंह पुत्र शोभा राम 428/1977 हिस्सा जाति बावरी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी में अमलदरामद इन्तकाल नम्बर 121 सनद नम्बर डीआरओ 675 दिनांक 24.03.1981 श्रीगंगानगर के आदेश से स्वीकृत फरमाया गया। ईन्तकाल संख्या 121 में प्रार्थी का नाम सतनाम सिंह पुत्र शोभा राम दर्ज है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि सतिया राम व सतनाम दोनो एक ही व्यक्ति है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम चक 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 68/49 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी के द्वारा राजस्व ग्राम चक 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 68/49 में अंकित नाम सतनाम पुत्र शोभा राम के स्थान पर सतिया राम पुत्र शोभा राम दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम सतिया राम पुत्र शोभा राम दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि सतिया राम व सतनाम दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 68/49 में क्रम संख्या 5 पर अंकित नाम सतनाम पुत्र शोभाराम के स्थान पर सतनाम उर्फ सतिया राम पुत्र शोभाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ (श्री गंगानगर) श्री करणपुर ★

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(**Civil Procedure Code, Appendix "D-1"**)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सतिया राम बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नम्बर **27/2023**

निर्णय दिनांक :- 18.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज कुमार सेजू** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू. अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 68/49 में क्रम संख्या 5 पर अंकित नाम सतनाम पुत्र शोभाराम के स्थान पर सतनाम उर्फ सतिया राम पुत्र शोभाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 18.10.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 18.10.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/520

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते